BCC BULLETIN
THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE
Vol. XXXXIII | 16th May 2012 | No. 6

बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की नामंजूरी केन्द्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये का प्रमाण - चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को अस्वीकार करने पर गहरा दुख एवं आघात लगा है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अंतरमंत्रालयी समूह के गठन के उपरान्त ऐसी आशा जगी थी कि बिहार जो हर प्रकार से विशेष राज्य के दर्जे के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा करता है, के लिए उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर पूर्वी राज्यों की भांति ही अब विशेष राज्य का दर्जा अवश्य ही दिया जाएगा। परन्तु, दुर्भाग्यवश राज्य की इस अत्यन्त जायज मांग की पुनः उपेक्षा कर केन्द्र सरकार ने एक बार फिर बिहार के प्रति अपने उपेक्षापूर्ण रवैये को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार के निर्णय से केंन्द्र सरकार ने संघीय व्यवस्था के संवैधानिक दायित्वों की भी अनदेखी की है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी परिस्थिति में देश के किसी भी राज्य को उपेक्षित नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि विभाजन के बाद राज्य के विकास के मापदंड पूरी तरह से बदल चुके हैं तथा राज्य में संसाधनों की काफी कमी है। अतः उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के बीच आर्थिक संतुलन बनाये रखने के लिए भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि बिहार की इस मांग को प्रधानमंत्री द्वारा गठित अंतरमंत्रालयी समूह ने केवल इस आधार पर रद्द किया है कि विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद ने कुछ मानक निर्धारित किये हैं यथा– राज्य की भौगोलिक पृथकता, दुर्लभ भूभाग क्षेत्र, संसाधनों की कमी, व्यावसायिक मंडियों से प्रान्त के भूभागों की दूरी एवं आधारभूत संरचनाओं का अभाव मुख्य मानक हैं। जहाँ तक भौगोलिक पृथकता का प्रश्न है, सभी व्यवहारिक कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वैसे राज्य जिनकी लम्बी सीमायें किसी अन्य देश से जुड़ी हों वे भौगोलिक रूप से पृथक राज्यों की श्रेणी में आते हैं। संसाधनों की कमी को केवल आर्थिक पिछड़ेपन से ही नहीं जोड़ा जाना चाहिए बल्कि इस पर विचार करते समय इस तथ्य को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य के पास वित्तीय संसाधनों की क्या स्थिति है। दुर्लभ भूभाग क्षेत्र की परिधि में केवल वैसे राज्य ही नहीं आने चाहिए जो पहाड़ अथवा जंगलों से घिरे हों बल्कि इसकी परिधि में वैसे राज्यों को भी लाना चाहिए जहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण जिनके बड़े भूभाग तक पहुँच दुर्लभ हो। जहाँ तक आधारभूत अवसंरचनाओं की कमी का प्रश्न है बिहार के आलोक में यह तथ्य जग-जाहिर है।

चैम्बर अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तय किये गये उक्त मानकों को न तो कोई संवैधानिक वैधता प्राप्त है ना ही उनके अनुपालन की कोई बाध्यता है। अतः यह मानक पूर्णतः संशोधन का विषय है। समय आ गया है कि केन्द्र सरकार इस सच्चाई को समझते हुए परिषद द्वारा निर्धारित मानकों में आवश्यक संशोधन करे।

उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र की सरकारों ने दशकों से बिहार की अनदेखी की है। कुछ मामलों में तो बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों से भी काफी पिछड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासनकाल के समय से ही बिहार के साथ सौतेला बर्ताव किया गया जिसके कारण यह राज्य पिछड़ता चला गया। आजाद भारत की केन्द्र सरकारों ने भी बिहार को पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया। अविभाजित बिहार के समय भाड़ा समानीकरण जैसे केन्द्रीय नीतियों के कारण यह प्रान्त औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से और अधिक पिछड़ता चला गया।

उन्होंने कहा कि बिहार के उत्तरी भाग को लगभग प्रत्येक वर्ष नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण बाढ़ की त्रासदी को झेलना पड़ता है जिसके कारण न केवल जान-माल का नुकसान होता है बल्कि प्रत्येक वर्ष आनेवाली विनाशकारी बाढ़ विकास के सभी प्रयासों पर पानी फेर देता है। राज्य में दशकों से व्याप्त मूलभूत सुविधाओं का अभाव, संसाधनों की घोर कमी तथा प्रत्येक वर्ष आनेवाले विनाशकारी बाढ़ आदि इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु पर्याप्त कारण हैं।

उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयासों के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार के समग्र विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उक्त दर्जा दिया जाना अत्यावश्यक है। चैम्बर अध्यक्ष ने आगे कहा कि बिहार की समस्त जनता के साथ-साथ राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पीछे चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं जिससे कि केन्द्र सरकार का बिहार के प्रति इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार का शीघ्रातिशीघ्र अन्त सुनिश्चित हो।

चैम्बर को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार वैट एक्ट 2005 में हाल में किए गये संशोधन पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने दिनांक 7 मई 2012 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार से भेट कर उन्हें बिहार वैट एक्ट 2005 में इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित हाल में किए गए संशोधन के कारण राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय के समक्ष उत्पन्न व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया।

माननीय मुख्यमंत्री के साथ हुई भेट वार्ता के संबंध में विस्तार से बताते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि यह अत्यन्त संतोष एवं हर्ष का विषय है कि उक्त समस्या से अवगत होने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर सहानभूति पूर्वक विचार करते हुए सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा।

इस भेंट वार्ता में जनता दल (यू) व्यवसायी प्रकोष्ठ के संयोजक श्री ललन कुमार सराफ भी उपस्थित थे और उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री को इन संशोधनों के कारण व्यवसायियों को हो रही दिक्कतों से अवगत कराया। चैम्बर अध्यक्ष ने सूचित किया कि पूर्व से बिहार वैट एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत व्यवसायियों को उनके शेष इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगले माह में कैरी फारवर्ड करने की व्यवस्था थी परन्तु दिनांक 31 मार्च 2012 को जारी अधिसूचना के द्वारा अब व्यवसायी वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह के अन्तिम दिन (अर्थात 31 मार्च को) अपने बचे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैरी फारवर्ड आगामी वित्तीय वर्ष में नहीं कर पाएंगे। इसकी जगह वाणिज्य-कर विभाग द्वारा उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफन्ड किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उन्होंने उक्त संशोधन के संबंध में कहा कि वाणिज्य-कर विभाग का ऐसा मानना कि व्यवसायी द्वारा खरीदा गया सारा माल 31 मार्च तक बिक ही जाएगा यथार्थ से बिलकुल परे तथा अव्यवहारिक है। इसके कारण व्यवसायियों को अत्यधिक कठिनाईयों

का सामना करना पड़ेगा । इस संशोधन के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में काफी गिरावट आने की संभावना है क्योंकि अधिकतर कम्पनियाँ मार्च के महीने में अपने उत्पादों के Push Sale के लिए उन्हें बाजार में भेजती हैं यदि ऐसे सामग्रियों की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवरूद्ध किया गया तो बाजार में उक्त सामग्रियों की बिक्री बुरी तरह से प्रभावित होगी तथा राज्य सरकार को अपने वैट राजस्व का एक बड़ा अंश खोना पड़ेगा ।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामग्रियों की खरीद के समय ही वैट का राजस्व तो वसूल कर लेती है परन्तु इस कर पर देय इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को रिफंड करने की प्रक्रिया जिसमें वार्षिक रिटर्न एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि की फाइलिंग हेतु नौ महीने तथा विभाग द्वारा रिफंड करने हेतु तीन महीने का समय मिलाकर कम-से-कम एक वर्ष का समय लगेगा । उन्होंने कहा कि यह सर्व विदित है कि कोई भी व्यवसाय बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण की मदद से चलाया जाता है जिस पर व्यवसायी को भारी ब्याज भी देना पड़ता है । वर्ष के अन्त में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैरी फारवर्ड यदि अगले वित्तीय वर्ष नहीं कर उसकी जगह रिफंड की प्रक्रिया अपनायी गयी तो पूरे एक वर्ष तक व्यवसायी की कार्यशील पूंजी फंस जाएगी जिससे उसे भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी । उन्होंने कहा कि जहाँ तक उनकी जानकारी है देश के किसी भी राज्य में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगले वर्ष सामंजस्य करने पर रोक नहीं है । अत: उक्त संशोधन का कोई औचित्य नहीं है, इसे तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए अथवा इसे कम-से-कम अगले दो वित्तीय वर्षों तक कैरी फारवर्ड करने की अनुमति दी जानी चाहिए । उन्होंने कहा कि वैसे भी वाणिज्य-कर विभाग का रेकॉर्ड रिफंड के मामले में अब तक बहुत ही खराब रहा है ।

उन्होंने सूचित किया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस समस्या की ओर माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित मंत्री, बिहार तथा वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार का भी ध्यान आकृष्ट कराया है ।

इस मामले पर माननीय मुख्यमंत्री के सकारात्मक पहल के लिए चैम्बर अध्यक्ष ने उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि उपर्युक्त संशोधन को वापस लिया जाएगा अथवा कम-से-कम दो वित्तीय वर्षों तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैरी फारवर्ड करने की अनुमति दी जाएगी ।

बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि संतोषजनक – चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गत वित्तिय वर्ष में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जो कि देश के सभी राज्यों की अपेक्षा अधिक है, पर प्रसन्नता व्यक्त किया है ।

इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि यह अत्यन्त हर्ष एवं संतोष का विषय है कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद विगत दो वर्षों में देश के सभी राज्यों से अधिक रहा है । यह इस बात का द्योतक है कि बिहार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में समेकित विकास के पथ पर अग्रसर है ।

उन्होंने कहा कि राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद राज्यों की आर्थिक सुदृढ़ता को मापने का बुनियादी मानक होता है । बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि यह दर्शाता है कि इस राज्य ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 13.1% की वृद्धि की है । यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार ने 14.8% का रेकॉर्ड सकल घरेलू उत्पाद दर्ज किया था । इन दोनों वित्तीय वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि को यदि मिलाकर देखें तो इस राज्य ने पिछले दो वर्षों में 27% से भी ज्यादा वृद्धि दर्ज की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है ।

उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार को ऐसी अद्वितीय सफलता अर्जित करने के लिए हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि राज्य में श्रोतों के अभाव तथा केन्द्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के बावजूद भी ऐसी बड़ी सफलता हासिल करना, एक चमत्कार से कम नहीं है । जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री कोटी-कोटी बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं । राज्य में लगातार हो रहा समेकित विकास माननीय मुख्यमंत्री के सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व का परिचायक है जिसके कारण सरकारी तंत्र के सहयोग से द्वारा राज्य को ऐसी दुर्लभ कामयाबी हासिल हुई है ।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में लगातार हो रहे विकास का साक्षी होने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्रदान करना, अपने आप में एक घोर अचम्भे की बात है । विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने से बिहार का आर्थिक कायापलट हो सकता है । केन्द्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अविलम्ब प्रदान करने का पुन: अनुरोध करते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के समस्त व्यवसायी एवं उद्यमी माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य को उसका न्यायोचित अधिकार दिलाने के लिए उनके पीछे चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं ।

BUSINESS WORLD ON TARGET

कब तक होते रहेंगे शिकार

घटनाएं वाकई में बढ़ी हैं, जिसने भी घटना को अंजाम दिया है उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, दोषी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाना चाहिए ताकि घटना की पुनरावृत्ति न हो। बिजनेसमेन को एकस्ट्रा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, साथ ही लॉ एंड आर्डर को ठीक किया जाना चाहिए। आखिर कब तक बिजनेसमेन ऐसी घटनाओं के शिकार होते रहेंगे। गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर के सुधार के लिए एक बार फिर एनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा नहीं किया गया तो पुरानी कहानी दुहरा सकती है।

श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

एडमिनिस्ट्रेशन का भय नहीं

लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अपराधी फिर से सिर उठाने लगे हैं। गवर्नमेंट ने शुरू के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर पर अच्छा काम किया था। क्रिमिनल्स में एडमिनिस्ट्रेशन का भय था। लेकिन अब यह खत्म हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर अपराधियों में फिर से खौफ पैदा करने की जरूरत है।

जब क्राइम का ग्राफ बढ़ता है, उसमें सबसे ज्यादा जुल्म व्यापारी वर्ग पर ही होते हैं क्योंकि व्यापारी वर्ग निरीह होते हैं। ऐसे में उन्हें सिक्योरिटी देना चाहिए।

श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(साभार : आई नेक्स्ट, 08.05.2012)

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एवं एमएसएमई के संयुक्त सचिव के साथ बैठक

• एमएसएमई श्रेणी के उद्योगों को हर संभव मदद– संयुक्त सचिव • चैम्बर की मांगों को सरजमीं पर उतारने से राज्य के औद्योगिक परिवेश में जबर्दस्त बदलाव– प्रधान सचिव

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में दिनांक 18 अप्रैल 2012 को उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री आलोक कुमार सिन्हा एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सी० के० मिश्रा के साथ चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।

अपने स्वागत सम्बोधन में श्री साह ने कहा कि उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री सिन्हा जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है और इनका कार्यकाल काफी शानदार रहा है । हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि श्री सिन्हा जी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक विकास की गति को और बल मिलेगा तथा उद्योग विभाग उद्यमियों की छोटी-बड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के निदान हेतु सकारात्मक पहल करेगा ।

मित्रों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि श्री सी० के० मिश्रा जी हाल ही में बिहार से दिल्ली में सेन्ट्रल डीप्यूटेशन पर गये हैं तथा एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया है । श्री मिश्रा जी ने उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के रूप में राज्य में औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने हेतु जो योगदान दिया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है । श्री मिश्रा साहब के नेतृत्व में ही राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की घोषणा हुई जिसमें मिश्रा साहब ने सभी Stake Holders के साथ कई

बैठकें की और सभी रचनात्मक सुझावों का इस नीति में समावेश किया। आज हमारी औद्योगिक नीति देश में सबसे प्रभावशाली एवं उत्कृष्ट है, ऐसा हमारा मानना है। हम राज्य के उद्यमी उनके उत्कृष्ट प्रशासन एवं सेवाओं के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे।

मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि हमारे राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता एवं अथक प्रयास, प्रान्त की जनता, विशेषकर उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों के साहस एवं लगन का सुखद परिणाम है कि आज का बिहार विगत कुछ वर्ष पूर्व के बिहार से बिलकुल बदल चुका है और जो प्रान्त कभी दुर्भाग्यवश बीमारू राज्य की सूची में गिना जाता था वह आज तेजी से विकसित होते प्रदेशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन का सम्पूर्ण श्रेय राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व एवं उनके समर्पित प्रशासनिक टीम को जाता है। आज का बिहार न केवल देश में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में समग्र विकास का पर्याय बन चुका है। बिहार कई मायनों में देश को दिशा दे रहा है।

स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। उनकी बाँयी ओर प्रधान सचिव श्री आलोक कुमार सिन्हा तथा बाँयी ओर क्रमशः एमएसएमई के संयुक्त सचिव श्री सी० के० मिश्रा, चैम्बर के महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका, उपाध्यक्ष श्री जी० के० खेतड़ीवाल एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

बिहार के समुचित औद्योगिकरण की राह में अभी भी कुछ अड़चनें हैं जिसमें सबसे प्रमुख बाधा बिजली की कमी है। हमें यह भी पता है कि बिहार सरकार इसके प्रति पूरी तरह से सजग है एवं बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। इसके अलावा सरकारी विभागों में Proper Work Culture Develop नहीं हो पाया है जिसकी नितान्त आवश्यकता है जिससे सरकार एवं उच्चाधिकारियों के निर्णय एवं नीति का सम्यक रूप से पालन हो सके।

वृहत उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े भूखंडों की आवश्यकता होती है। यद्यपि बियाडा छोटे उद्यमियों को भूखंड उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही **"आओ बिहार योजना" के माध्यम से भी Private Land उद्यमियों को उपलब्ध कराने की योजना बनायी गई है**। फिर भी भूमि की जितनी आवश्यकता है उसके आलोक में हम उद्योग विभाग से निवेदन करना चाहेंगे कि वह Private Industrial Estates की स्थापना में Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे।

मित्रों, सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित नीतियों, नियम-कानूनों, अधिसूचनाओं आदि की व्याख्या में कई बार मतभिन्नता होने के कारण भ्रम की स्थिति बन जाती है। विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाने के कारण राज्य का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास बाधित होता है। हमारा मत है कि इस हेतु एक राज्यस्तरीय Clarification Committee का गठन किया जाए जिसमें सरकार और उद्योग एवं व्यवसाय का बराबर की संख्या में प्रतिनिधित्व हो तथा इस कमिटी का निर्णय सर्वमान्य हो। इस सन्दर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष निवेदन किया था, उन्होंने उक्त कमिटी के गठन का कृपापूर्ण आश्वासन दिया है। हम प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से निवेदन करते हैं कि इस संबंध में अपने स्तर से भी पहल करें जिससे कि प्रस्तावित राज्यस्तरीय Clarification Committee का गठन यथाशीघ्र सुनिश्चित हो पाये।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योग उपसमिति के चेयरमेन श्री पी० के० अग्रवाल ने एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत कर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को समर्पित किया।

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) के संयुक्त सचिव श्री सी० के० मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के 99% उद्योग धंधे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के हैं। उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय में रहने के फलस्वरूप बिहार के उद्योग जगत से सम्पर्क बना रहेगा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि एमएसएमई श्रेणी के उद्योगों को हरसम्भव मदद की जायेगी। उन्होंने कहा कि ज्ञापन उठाए गये बिन्दु मसलन इन्ट्री टैक्स, सेपरेट नोटिफिकेशन, मोर्टगेज का मामला अंतिम चरण में है। प्रदेश में एक साल में औद्योगिक इकाइयाँ खुलीं, पर इस अनुपात में बीमार उद्योगों का पुनरुद्धार नहीं हो सका।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि उनकी यह कोशिश होगी कि उद्योगों के राह में बाधाएँ न आयें। इसके लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित किया जायेगा। उद्यमियों को परेशानी नहीं होने दी जायेगी। विभाग के पदाधिकारियों से खुले दिल से कार्य करने को कहूँगा। श्री सिन्हा ने कहा कि चैम्बर की मांगों को सरजमीन पर उतारने से राज्य के औद्योगिक परिवेश में जबर्दस्त बदलाव आएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने ज्ञापन में उठाए गये मुद्दों / सुझावों पर समुचित कदम उठाने का भी आश्वासन दिया।

इस अवसर पर उद्योग विभाग के निदेशक श्री ए० के० मल्लिक, उद्योग मित्र के सीईओ श्री ए० के० ठाकुर, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री डी० पी० लोहिया एवं श्री मोती लाल खेतान, उपाध्यक्ष श्री जी० के० खेतड़ीवाल एवं श्री नन्हे कुमार, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका के अलावे चैम्बर के सदस्य और मीडियाकर्मी काफी संख्या में मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका ने किया।

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के साथ चैम्बर प्रांगण में 18 अप्रील 2012 को आयोजित बैठक में समर्पित ज्ञापन

1. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कार्यनीति की कंडिका (ix) के द्वारा राज्य सरकार ने अन्य कुछ उद्योगों के साथ निम्नलिखित उद्योगों को भी थ्रस्ट एरिया में रखा है :-

- पर्यटन संबंधी उद्योग
- उच्च / तकनीकी अध्ययन संस्थान
- वस्त्र उद्योग
- सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
- इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उद्योग
- उर्जा / गैर-पारम्परिक उर्जा

इसी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 6 में यह संकल्प लिया गया है कि चिह्नित थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए इस औद्योगिक नीति में वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति निर्गत की जायेगी।

यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि थ्रस्ट एरिया में वैसे ही औद्योगिक प्रक्षेत्र चिह्नित किये जाते हैं जिनमें राज्य के Core Competence Industrial Sector बनने की क्षमता हो लेकिन आज तक उपरोक्त थ्रस्ट एरिया के औद्योगिक प्रक्षेत्रों के लिए पृथक प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा नहीं हो पाई है। अतः प्रधान सचिव महोदय उद्योग विभाग से हमारा अनुरोध है कि इस विषय को प्रथमिकता के आधार पर लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा करें।

2. ऐसा अनुभव किया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, 2011 के अन्तर्गत बियाडा कानून एवं नियम, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, वैट एक्ट से संबंधित अधिसूचनाएं, श्रम संसाधान विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि जैसे एक्ट, पॉलिसी एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या में कई बार काफी गलतफहमियाँ होती हैं। विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाती है जिससे कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनिश्चितता बढ़ती है। इस मत भिन्नता के निवारण हेतु एक राज्यस्तरीय Clarification Committee बनायी जानी

चाहिए जिसमें सरकार और उद्योग एवं व्यवसाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहे तथा उक्त कमिटी का निर्णय सर्वमान्य हो । इस सन्दर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष निवेदन किया था, उन्होंने ने भी इस तरह की Clarification Committee का गठन कराने का कृपापूर्ण आश्वासन दिया है । अत: अनुरोध है कि इस दिशा में आप अपने स्तर से भी पहल कराने की कृपा करें ।

3. बिहार गजट संख्या 293 दिनांक 31 मार्च 2012 द्वारा Bihar VAT Act 2005 में कुछ संशोधन किये गये हैं जिसके द्वारा मार्च 2012 के Input Tax का Credit भी अप्रील 2012 में नहीं मिलेगा जो कि व्यवसाय एवं उद्योग दोनों के लिए Cumbersome है । इससे राज्य के औद्योगिक विकास में बाधा आएगी अत: उद्योग विभाग को इस संशोधन को वापस कराने के लिए पहल करना चाहिए ।

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के अन्तर्गत AMG/MMG से औद्योगिक इकाईयों को छूट दिये जाने का प्रावधान है । परन्तु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड केवल KWH पर ही उपरोक्त छूट दे रही है जबकि AMG/MMG में KVA तथा MVA भी आते हैं । इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड यह प्रोत्साहन उद्यमियों को उपलब्ध नहीं करा रहा है ।

इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने विभागीय ज्ञापांक 1837 दिनांक 31.05.2011के द्वारा कुछ औद्योगिक इकाईयों के मामले में यह निर्णय दिया था कि HTSS श्रेणी के उपभोक्ताओं को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के अन्तर्गत MMC में छूट दिया जाना है जिसकी प्रतिपूर्ति बोर्ड को राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी । इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के प्रावधानों के तहत देय छूट अनुमान्य की जा रही है । प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के उक्त आदेश के बावजूद भी बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाईयों को MMC की छूट जिसमें KVA/MVA भी शामिल है, नहीं मिल पा रही है । अत: प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से निवेदन है कि संबंधित इकाईयों को MMC Charge (KVA/MVA)से छूट उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

5. **उद्यमी द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित किए जानेवाले मौर्टगेज डीड को निबंधन शुल्क से विमुक्ति के संबंध में :** उद्योगों की स्थापना / विस्तार हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए संबंधित उद्यमियों को बैंक के पक्ष में निष्पादित किये जानेवाले मोर्टगेज डीड तथा कोलेटरल सिक्यूरिटी पर लगनेवाले निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है । उदाहरणस्वरूप एक करोड़ की सीमा तक की ऋण की प्राप्ति के लिए उद्यमी को लगभग 300 रुपये प्रति लाख की दर से 30 हजार रुपये स्टाम्प ड्यूटी के रूप में जमा करना पड़ता है । इससे स्पष्ट है कि बिहार में निबंधन शुल्क, उद्योग के लिए एक अतिरिक्त भार बन गया है ।

निम्नांकित तालिका यह बताता है कि अन्य राज्यों के अपेक्षा बिहार में निबंधन शुल्क कितना अधिक लगता है :-

राज्य	मोर्टगेज चार्ज
बिहार	0.3%
पश्चिम बंगाल	शून्य
उड़ीसा	11 रुपया
हरियाणा	2.50 रु० असीमित राशि
पंजाब	15 रु० असीमित राशि
जम्मू एंड कश्मीर	20 रुपया
उत्तर प्रदेश	0.5% अधिकतम 10,000/- रु०
राजस्थान	100 रुपया मात्र
गुजरात	0.25% अधिकतम 5,700/- रु०
महाराष्ट्र	0.1%
मध्य प्रदेश	0.5% अधिकतम 10,000/- रु०
तमिलनाडु	0.1% अधिकतम 5,000/- रु०

अत: आपसे अनुरोध है कि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ भी निबंधन शुल्क को कम कर इसे व्यवहारिक बनाया जाए ।

6. **समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना :** उद्योगों के विकास के लिये विद्युत की निर्बाध आपूर्ति नितान्त आवश्यक है । सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है । हमारा आपसे निवेदन है कि उद्योग हेतु बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें । कमी से निपटने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को Open Access Scheme के अन्तर्गत Power Corporation से विद्युत क्रय करना चाहिए ।

7. राज्य की उर्जा की मांग 3000 MW आंकी गई है । केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 1800 MW विद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1000 मेगावाट कम बिजली ही उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 3500 MW पर MMG Charge लिया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है ।

8. **पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत होटलों को MMG/AMG से छूट**

बिहार सरकार ने सभी प्रकार के होटलों को पर्यटन उद्योग में सम्मिलित किया है तथा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और तदनुरूप औद्योगिक नीति 2006 के अन्तर्गत मिलनेवाले सभी प्रोत्साहनों के लिए उन्हें भी प्रोत्साहन का पात्र बनाया है । परन्तु दुर्भाग्यवश होटल उद्योग को विद्युत बोर्ड द्वारा MMG/AMG से अब तक छूट प्राप्त नहीं हो रही है । इस संबंध में चैम्बर ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपरोक्त छूट देने का आग्रह किया था परन्तु बोर्ड के वित्तीय नियंत्रक –I ने अपने पत्र संख्या 1007 दिनांक 25.4.2011 द्वारा चैम्बर को यह सलाह दी गई कि इस संबंध में उद्योग विभाग से सम्पुष्टि पत्र उपलब्ध कराया जाए । अत: हमारा निवेदन है कि उद्योग विभाग इस संबंध में विद्युत बोर्ड को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें ।

9. **बियाडा से संबंधित मुद्दे**

(क) बियाडा द्वारा लीज डीड का एक नया प्रारूप बनाकर उसे सुझाव हेतु परिचालित किया गया था उस पर चैम्बर ने विभिन्न राज्यों में लागू लीज डीड मंगाई और बियाडा के प्रारूप के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बियाडा के लीज डीड के प्रारूप में विसंगतियाँ थी । तदुपरान्त चैम्बर ने बियाडा लीज डीड प्रारूप पर अपने सुझावों के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर विभाग को समर्पित किया है। अत: अनुरोध है कि हमारे उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा की जाए ।

(ख) अन्य राज्यों की तरह ही एक समय सीमा के बाद लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदला जाए ।

10. माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित मंत्री द्वारा गत वर्षों में उद्योग से संबंधित की गई बजटीय घोषणाओं को लागू कराया जाना चाहिए । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें निम्न हैं :-

(क) उद्योग हेतु कच्चे माल की खरीद पर प्रवेश कर समाप्त करना ।

(ख) उद्योग हेतु प्लांट एवं मशीनरी की खरीद पर से प्रवेश कर को समाप्त करना इत्यादि।

11. **सामग्री – खरीद अधिमानता नीति में आवश्यक सुधार किया जाना :** राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 लागू की । लेकिन नीति में निहित विसंगतियों के कारण राज्य की इकाईयाँ इसका लाभ नहीं उठा पायी । राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम –131 में कुछ संशोधन किया है । मगर इसका भी लाभ राज्य के औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिल पा रहा है । राज्य की स्थानीय इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर एक व्यवहारिक खरीद अधिमानता नीति बनायी जाय तथा नीति को सरकार की नीति मान कर सरकार के सभी विभाग अपनी खरीददारी में पारदर्शिता रखते हुए इस नीति का अनुपालन करें । हम चाहेंगे कि बजट घोषणा के अनुरूप सामग्री खरीद अधिमानता नीति (Store Purchase Preference Policy) की सरकार नये सिरे से समीक्षा करे । अत: आग्रह है कि समीक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा की जाए जिससे कि इस नीति में आवश्यक सुधार जल्द से जल्द किया जा सके ।

12. **उद्योग के उपयोग हेतु भूमि बैंक के गठन का अनुरोध :** बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । थर्मल पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाईयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू-भाग की आवश्यकता है

विशेषकर इच्छुक उद्यमियों के लिए ऐसे बड़े भू-भाग का प्रबन्ध करना होगा । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :-

- भूमि बैंकों की स्थापना द्वारा ।
- ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं इस्टेट्स की स्थापना द्वारा ।
- बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।

इसी सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में **"आओ बिहार योजना"** की घोषणा की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा भू-अर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य के निवासियों को सूचित किया जाना है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह दो एकड़ या उससे अधिक के स्वामी हैं तथा अपनी जमीन उद्योग एवं संस्थान हेतु बेचना चाहते हैं तो वे अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ संबंधित जमीन के ब्योरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं । इसके पश्चात सरकार विज्ञापन के माध्यम से सभी संभावित निवेशकों को सूचित करेगी कि राज्य के विभिन्न जगहों में भूमि विक्रय हेतु उपलब्ध है । यदि वे इच्छुक हों तो संबंधित भूधारी से सम्पर्क कर सकते हैं । ऐसी जमीन पर निवेश किये जाने पर औद्योगिक नीति के प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा । सरकार ने बियाडा को इस योजना हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया है इसे मूर्त्त रूप से कार्यान्वित कराया जाना चाहिए ।

13. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 तथा 2011 के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को वैट प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का समुचित सरलीकरण करना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वैट की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग द्वारा ही की जाए ।

14. उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 20.12.2011 को जारी अधिसूचना जिसके अन्तर्गत यह संकल्पित किया गया है कि चूंकि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 का अवधि विस्तार यथास्थिति में किया गया है अत: इस नीति के अन्तर्गत कंडिका -2 (xii) AMG/MMG से छूट एवं कंडिका -2 (ix) विषम परिस्थिति में कार्यरत इकाईयों को दी जानेवाली सभी प्रोत्साहन सुविधाओं को यथावत् स्थिति में उक्त विस्तारित अवधि अर्थात् दिनांक 01.04.2011 से 30.06.2011 तक के लिए देय होगा । इस अधिसूचना को सरकार के अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित कराया जाए ।

15. **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को वैट/प्रवेश कर प्रतिपूर्ति के देय प्रोत्साहन के संबंध में :** राज्य की औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 (बिहार गजट S.O. No.1162 दिनांक 25/07/06 जिसकी प्रति संलग्न है), के अन्तर्गत बिहार वैट के मद में भुगतान की गयी करों के अन्तर्गत प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है । इस संबंध में अनुरोध है कि बिहार के औद्योगिकरण के हित में इस विसंगति पर शीघ्रातिशीघ्र साकारात्मक निर्णय लेने कि कृपा की जाये ।

16. हल्दिया - जगदीशपुर गैस पाईप लाइन में बिहार को गैस में हिस्सेदारी तथा पर्याप्त आवंटन हेतु प्रयास एवं एम.ओ.यू. किया जाय ।

वाणिज्य-कर आयुक्त के साथ चैम्बर की बैठक आयोजित

एक जुलाई से व्यापारियों के लिए सभी पफार्म ऑन लाइन : वाणिज्य-कर आयुक्त

वाणिज्य कर आयुक्त श्री सुधीर कुमार के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 30 अप्रैल 2012 को एक बैठक आयोजित हुई । बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की । अपने स्वागत् सम्बोधन में श्री साह ने कहा कि आज की यह बैठक श्री सुधीर कुमार जी जिन्होंने आठ वर्षों के अन्तराल के बाद पुन: वाणिज्य-कर विभाग की बागडोर संभाली है, उनके स्वागत के लिए आयोजित की गई है ।

बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह उनकी बॉयी ओर क्रमश: वाणिज्य-कर आयुक्त [illegible] पूर्व अध्यक्ष श्री डी० पी० लोहिया दॉयी ओर महामंत्री श्री संजय कुमार [illegible] एवं उपाध्यक्ष श्री [illegible]

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि हमारा यह मानना है कि राज्य में वैट कर प्रणाली के जन्मदाता आप हैं, और आपके नेतृत्व में ही वैट कर प्रणाली के संबंध में हमलोगों के साथ कई बैठकों में हुए विचार-विमर्श के बाद आपने अन्तिम रूप दिया था और उसी प्रारूप को बिहार वैट एक्ट 2005 के रूप में लागू किया गया ।

महोदय, आपके समक्ष विस्तृत ज्ञापन तो हमारे वैट सब कमिटी के चेयरमैन श्री डी० पी० लोहिया प्रस्तुत करेंगे । लेकिन कुछ बिन्दुओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिसका राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा :-

1. विभाग द्वारा Input Tax Credit Carry Forward के विषय में एक अधिसूचना संख्या 293 दिनांक 31.03.2012 जारी की गई है जिसके अनुसार 31 मार्च को खरीदे गये माल पर भुगतान किये गये वैट का Adjustment 1 अप्रील को नहीं हो सकेगा ।

इस सन्दर्भ में हमारा निवेदन है कि यह पूर्णत: unrealistic, impractical और नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है । हमें आशा है कि आप हमारे इस कथन से अवश्य सहमत होंगे । जहाँ तक हमारी जानकारी है कि पूरे देश में इस तरह का प्रावधान कहीं भी नहीं है, कि मात्र एक दिन पहले भुगतान किया हुआ कर एक दिन बाद व्यवसायी Adjust नहीं कर सकेगा। इस पर आपका कृपापूर्ण ध्यान अपेक्षित है । इसी अधिसूचना Section 69 में Amendment करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि व्यवसायी द्वारा वार्षिक Return Audit Report दाखिल करने के बाद तीन महीने के अन्दर आयुक्त द्वारा निर्देशित प्रक्रियाओं के तहत गहन जाँच के बाद व्यवसायी का Refund होगा। व्यवसायियों की यह मान्यता है कि गिने-चुने मामले में ही आज तक वाणिज्य-कर विभाग द्वारा Refund दिया गया है । इस अधिसूचना से व्यवसायियों में घोर असंतोष है और अगर इन पर शीघ्र पुनर्विचार नहीं किया गया तो राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ बुरी तरह प्रभावित होगी । उक्त प्रावधान वैट कानून के मूल स्वरूप को ही विचलित कर रहा है ।

2. प्रपत्र सी के निर्गमन के लिए विभाग द्वारा पत्रांक 1524 दिनांक 17.04.2012 को एक विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है । इस संबंध में कहना है कि वैट लागू होने के समय एवं लगातार उसके बाद सरकार का बराबर यह प्रयास रहा कि उद्यमियों एवं व्यवसायियों को विभाग का चक्कर नहीं काटना पड़े और इसी कड़ी में On line Return Filing, On line payment इत्यादि की व्यवस्था की गई लेकिन इस दिशा-निर्देश से ऐसा लगता है कि व्यवसायियों को सी-फार्म लेने के लिए विभाग का लगातार चक्कर काटना पड़ेगा । इस दिशा में आपसे अनुरोध है कि इस पर सकारात्मक विचार कर उक्त प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए ।

3. माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा में बजट भाषण 2010, 2011 एवं 2012 की घोषणाओं को शीघ्र लागू कराने की दिशा में पहल किये जाने की अपेक्षा है ।

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011 के अन्तर्गत वैट प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को सरलीकृत करने की कार्रवाई करनी चाहिए ।

अपने पिछले कार्यकाल में आपने बराबर यह प्रयास किया कि विभाग और व्यवसायियों के बीच Confrontation न पैदा हो । दोनों राज्य के आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दें । उसी समय से यह Maintain हो रहा है ।

हमें आशा है कि आपके कुशल निर्देशन में इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उद्यमी, व्यवसायी एवं विभागीय पदाधिकारी संयुक्त रूप से आपसी सहयोग से राज्य के आर्थिक उन्नति में अपना योगदान देते रहेंगे ।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं वैट उप समिति के चेयरमैन श्री डी० पी० लोहिया ने विस्तृत ज्ञापन जो कि आगे उद्धृत है, को पढ़कर सुनाया जिसमें इन्ट्री टैक्स व्यवस्था को समाप्त करना, घोषणा के बावजूद वैट के बदले सीएसटी जमा किये जाने के बदले अतिरिक्त राशि वापस नहीं किया जाना, वैट की प्रक्रिया आसान करने के लिए होने वाली समीक्षा नहीं करने जैसे समस्याओं के प्रति वाणिज्य-कर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया। बैठक में उपस्थित कई सदस्यों ने वाणिज्य कर सम्बन्धी विभिन्न-विभिन्न मुद्दों को उठाया एवं आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया।

सदस्यों को गम्भीरतापूर्वक सुनने के बाद वाणिज्य कर आयुक्त श्री सुधीर कुमार ने कहा कि वाणिज्य कर सम्बन्धित सारे फार्म एक जुलाई से ऑन लाइन मिलने लगेंगे। इससे व्यापारियों को विभाग का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही ई-पंजीयण, ई-रिर्टन के लिए व्यावसायियों को मुख्य दस्तावेज जमा करने के लिए वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। पहले ई रिजस्ट्रेशन एवं ई रिर्टन दाखिल करने के बाद भी मुख्य दस्तावेज (HARD COPY) जमा करने वाणिज्य कर कार्यालय जाना पड़ता था अब व्यापारी दस्तावेजों को स्कैन कराकर ई रजिस्ट्रेशन के समय ही सौंप दें। ई पेमेंट के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। हालाँकि ई रिफैन्ड एवं ई रिइम्बर्समेन्ट की प्रक्रिया पूरी होने में चार से पाँच महीने का समय लगेगा। इसके लिए अन्य राज्यों की भाँति सॉफ्ट वेयर तैयार किया जा रहा है। कुछ अर्से बाद सारा कुछ इलेक्ट्रानिक माध्यम से मिलने लगेगा। वाणिज्य कर रिफन्ड को ऑटो पायलट करने की व्यवस्था की जा रही है जैसे आयकर रिफन्ड में सुविधा है।

आयुक्त ने कहा कि बिहार देश के दो तीन राज्यों में जहाँ वाणिज्य कर आठ गुणा बढ़ा है। झारखण्ड बंटवारे से पूर्व यहाँ 23 सौ करोड़ रूपये का राजस्व था जो गत वर्ष 84 सौ करोड़ रूपये पहुँच गया है। इस वृद्धि में व्यवसायियों का भी अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने व्यवसायियों से कहा कि वे अपनी समस्याओं को लेकर एक बैठक और करें और फलाफल के बारे में बताएँ सभी समस्याओं का निपटारा मिल बैठकर सुलझा लिया जायेगा।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री पी० के० अग्रवाल, श्री मोती लाल खेतान, चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं नन्हे कुमार, महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, श्री डी० पी० गुप्ता, कई संगठनों के प्रतिनिधियों सहित चैम्बर सदस्य एवं मीडिया बन्धु उपस्थित थे। महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

MEMORANDUM SUBMITTED TO SHRI SUDHIR KUMAR, IAS, COMMISSIONER COMMERCIAL TAXES ON 30-04-2012

We are thankful to all of you present in this meeting this after-noon and extends special thanks to the Commercial Taxes Commissioner for sparing some moments from his hectic schedule to participate in this meeting.

Respected Commissioner Saheb, there are certain points which requires your kind attention and prompt actions which are as follows :-

1. The Hon'ble Dy. Chief Minister cum Finance Minister, Bihar has announced budget proposals but the corresponding notification to carry out such proposals have yet to be made, particularly, the proposal that the rate of entry tax will not be kept more than the VAT rate.

2. Bihar Entry Tax Act, 1993 is a parallel Act which requires filing of monthly statement, quarterly returns as well as Annual Return and thus 17 returns are required to be filed during the financial year and in majority of the cases approximately 80% the entry tax deposited is adjusted against the Output Tax payable and as such the entry tax needs to be abolished altogether so as to save the time of both the dealers as well as the department in filing the entry tax and pursuing those returns by the department.

3. **VAT reimbursement to be allowed as per the provision of Industrial Policy, 2006**

a) The Industrial Incentive Policy, 2006, vide Gazette Notification dt. 25.7.2006, categorically provides for reimbursement of entry tax as well as C.S.T. paid towards discharge of VAT liability. However, this is being denied continuously and consistently by the Commercial Taxes Department (photo copy enclosed).

b) The Commercial Taxes Circle Offices are not forwarding the VAT reimbursement applications of eligible industrial units for the period 1.4.2011 to 30.6.2011 to the Commercial Taxes Headquarters on the plea that the department has not issued any advice to the circle offices that the Government has extended the Industrial Incentive Policy 2006 up to 31.12.2011 or up to the date on which the Industrial Incentive Policy 2011 is made effective.

We are of the view that the Commercial Taxes Department should issue a clarification in this respect at the earliest enabling the affected industrial units to avail their right of the said incentive for the aforementioned intervening period i. e., 1.4.2011 to 30.6.2011 without any further loss of time.

c) VAT Reimbursement under Industrial Incentive Policy 2006 & 2011 pending before the Commercial Taxes Department should be done immediately in order to improve the image of the State. In many cases, Reimbursement approved by the authorities have not been done till now.

4. The Agricultural implements manually operated or Animal Driven vide Sl. No.1 of Schedule - I is fully exempt but the Department is still persisting the dealers to pay/deposit VAT @ 4% on these items and as such the Chamber sincerely feels that necessary direction/instruction may kindly be issued to all those concerned to go purely by the entries of the Schedule.

5. **Simplification of VAT reimbursement procedure**

The Government of Bihar has constituted a Committee for simplification of the prevalent procedure of VAT reimbursement but unfortunately the Committee has not yet started the functioning, so it is requested that the necessary action may kindly be taken in this regard.

6. **Denial of carry forward of Input Tax Credit**

Under Section 16 of the Bihar VAT Act, a dealer was allowed to carry forward the excess input tax credit for adjustment against the Output tax of subsequent months but by virtue of recent amendment vide gazette notification no. LG-1-4/2012/Leg. 293 dated 31.3.2012 the provision has been amended to the effect that ".....such excess of input tax credit shall be carried forward for adjustment against the output tax of subsequent month not being a month later than the last month of the financial year, and any amount of input tax that remains unadjusted in terms of the return under sub-section(3) of Section 24 shall be refunded, subject to the provisions of Section 68, 69, 69A and 71 of this Act, within three months, following the month in which the Annual Return and Tax Audit Report are furnished".

The aforesaid amendment is totally unrealistic and unpractical in the sense that goods purchased by a dealer in the month of March cannot be presumed to be sold on or before the 31st of March and this is going to cause a great hardship to the dealers and also the loss of revenue to the State for the simple reason that companies invariably makes push sales of the goods into the market in the month of March and if input tax credit on such purchases is denied not only the sale will be affected but also the State could lose the revenue.

There is another side of the story that the State has enriched its coffer by collecting VAT at the time of purchases but the benefit of the said tax deposited is being denied at least for minimum of 12 months (9 months for filing Annual Return and Tax Audit Report plus 3 months sought by the Department, for the purpose of Refund) it is an admitted position that the business are being run on money borrowed from the banks on which hefty interest is being charged and the denial of the Input Tax Credit amounts to the blocking of running Capital and payment of interest thereon which cannot be said to rationale for the development of the State. This needs urgent re-consideration and Input Tax Credit should be allowed to be carried forward at least for two years, from the end of the Financial Year. It is worth mentioning here that even the neighboring State of West Bengal and Jharkhand, besides many other states, are allowing the carry forward of the input tax credit.

Last but not the least, the State of Bihar, particularly, the Commercial Taxes Department has a very poor record in the matter of

refund of sales tax and your good self must be aware of this very fact.

In this connection, we are further to state that we have already drawn your kind attention on this issue as well as the attention of the Hon'ble Dy. Chief Minister and it appears to us that the aforementioned amendment need further amendment to enable the dealers to carry forward their ITC FOR A CERTAIN PERIOD. So we would request you till a final decision on our aforesaid request is taken, the matter may kindly be kept at abeyance.

7. **New Procedure for issue of Declaration – Form 'C'**

The Chamber would also like to draw your good self's kind attention towards the Circular dt. 17th April, 2012 addressed to the Officers of the Commercial Taxes Department and a detailed procedure and guideline has been issued for the purpose of issuance of Form – C. By the said guideline and procedure each and every dealer who makes inter-state purchases is required to furnish Declaration in Form – C and by virtue of the procedure and guidelines issued vide Circular dt. 17.4.12, the dealers will have to make a bee-line to the sales tax department. The Hon'ble Minister has stated officially and publicly that the dealers will seldom be required to visit the sales tax offices but this very circular is totally against the sovereign promises made by the Hon'ble Minister.

The requirement of furnishing copy of Challan in support of tax deposited and copy of returns filed amounts to duplicity of the works as the taxes and the returns are being made electronically which are readily available with the Assessing Officer of the Circle concerned. Further, the guideline issued vide Paragraph No. 4.1 and 4.2 will simply lead to the harassment of the dealers at the hands of the officers of the Department. Last but not the least, the observation made in Paragraph No. 4.4 should have been avoided as presumption has been made with regards to the monthly expenses of dealers which are nothing but presumption and surmises and based on the edifice that the dealer is totally dependent of the business only and does not have any other source of income and moreover the observation made is not happily worded.

8. **Scrutiny of Returns under Section 25**

Amendments has been made to the provision of Section 25 by which a procedure has been laid down for issuing scrutiny notices but the said provision are not being followed by the Department.

9. **Section 56 being misused**

Section 56(1) relates to the production of the books of accounts but the same is being misused invariably by issuing notices under Section 56(1) for passing assessment orders and determination of the turnover and tax liability.

10. **Section 31**

Section 31 provides for initiation of the proceeding on certain conditions but the notices are being issued for the purpose of assessment and even best judgment assessments are being made under this Section.

The Departmental Officers are issuing Notices under Section 31 for verification of the claims and deductions made in the Returns which is totally against the spirit of the provisions and it may be stated that the notices are issued for the reason other than merit.

11. **Deduction of tax at source from the payments of bills of Works Contractors**

The contractors are great hardship on account of deduction of TDS at the flat rate of 4% while making the payment of the bills and also the contractor has to deposit Entry Tax on the import of scheduled commodity and the end result is that the contractor is entitled to a huge refund. Refunds are seldom issued as per the provisions of the Bihar VAT Act, 2005. It is, therefore, suggested that suitable amendment should be made to reduce the rate of TDS @ 2% against the payment of bill of the contractors.

वार्डों में स्थापित हो निगम शाखा

आज बिहार सर्वांगीण विकास की राह पर तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में बिहार को विकास का प्रतीक माने जाने लगा है। पटना राज्य की राजधानी है। इसे प्रदूषणरहित, स्वच्छ, सुंदर एवं उत्कृष्ट शहरों में स्थान प्राप्त करने के लिए कई काम किये जाने हैं। इस काम को नगर सरकार ही कर सकती है। निगम क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना हो गया है। इस कारण बारिश में निगम क्षेत्र के नये और पुराने इलाकों में जलजमाव की भयंकर समस्या बनती है। इस समस्या को दूर करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। राजधानी की सड़कों पर जहां-तहां कचरे का अंबार लगा रहता है। हालांकि, निगम द्वारा कूड़ा उठाने एवं सफाई का काम किया जाता है लेकिन इसकी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तुरंत कूड़ा फेंकने की निश्चित जगहों को चिह्नित किया जाना चाहिए। कचरा डालने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों द्वारा सफाई व्यवस्था की निश्चित समय अवधि पर सर्टिफिकेशन कराया जाये। वर्तमान में निगम के सफाईकर्मी सुबह से लेकर शाम तक कचरा उठाने का काम करते हैं। इससे यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है। कचरा उठाने की समय सीमा तय हो, ताकि आवागमन में परेशानी नहीं हो। निगम ने कचरा प्रबंधन की परियोजना बनायी है, पर क्रियान्वयन अब तक नहीं हो पाया है। हम स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों से आशा रखते हैं कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करायेंगे। निगम क्षेत्र के पार्कों की रख-रखाव की स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ पार्क तो कूड़ा-कचरा जमा करने के मैदान बन गये हैं। पार्कों का रख-रखाव अच्छा हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। नगर निगम का शाखा कार्यालय सभी वार्डों में स्थापित किया जाये। इससे निगमकर्मियों को कार्यों के संपादन में काफी मदद मिलेगी। शहर में एक भी व्यवस्थित पार्किंग और ऑटो-रिक्शा स्टैंड नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से रोजाना जाम की समस्या बनती हैं इसलिए सुव्यवस्थित ऑटो-रिक्शा एवं टैक्सी स्टैंड बनाने के साथ-साथ मल्टी लेयर पार्किंग सिस्टम पीपीपी मोड में विकसित करना होगा तभी शहर सुंदर व सुव्यवस्थित दिखेगा। **ओ० पी० साह,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(साभार : प्रभात खबर 16.04.2012)

दायित्व नहीं निभा पा रही नगर सरकार

नगर सरकार को मुख्य रूप से सात-आठ काम प्रमुखता से करने का दायित्व है लेकिन एक का भी निर्वहन ठीक से नहीं करती है। इससे लगता ही नहीं कि शहर में निगम भी काम करता है। निगम को सुदृढ़ करने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी गंभीर होने की जरूरत है, ताकि जनहित में अच्छे फैसले लिये जायें और उनका क्रियान्वयन हो। निगम के प्रमुख कामों में शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति, पार्कों का बेहतर रख-रखाव, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त रखना, पशुओं के शवों का बेहतर ट्रीटमेंट, बेहतर शवदाह गृह और समुचित लाइटिंग व्यवस्था है। इनमें कोई सुदृढ़ नहीं है। निगम क्षेत्र में सफाई का कोई मापदंड नहीं है, जिससे शहर कभी साफ नहीं दिखता है। आलम यह है कि कचरा ढोने के लिए जो ट्रैक्टर चलते हैं, उनमें से एक में भी बैट्री नहीं है। इससे जब तक कचरे का उठाव होता है, तब तक ट्रैक्टर चालू है, जिससे अनावश्यक डीजल और पैसे की बरबादी होती है।

पटना नगर निगम को सूरत, महाराष्ट्र और नागपुर जैसे निगमों से सीख लेनी चाहिए। उन शहरों में निगम किस तरह काम करता है और आम लोगों की सुविधाओं के लिए तत्पर रहता है। आम लोग निगम में टैक्स देते हैं तो निगम से लाभ मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन, निगम जो सुविधा मुहैया कराती है, वह समुचित नहीं है। इसी का परिणाम है कि शहर की गलियों में समुचित लाइटिंग नहीं है। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। शहर से न तो नियमित कूड़े का उठाव होता है और न ही उसका प्रबंधन। इस पर नगर सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है।

इसके लिए नगर सरकार व निगम प्रशासन को दूसरे निगमों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर यहाँ लागू करने की जरूरत है। इसके बाद ही शहर का ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम, शवदाह गृह आदि व्यवस्था सुदृढ़ हो पायेगी। इन सभी कामों के लिए जनप्रतिनिधियों को भी गंभीरता से जिम्मेवारी लेनी होगी।

पी० के० अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(साभार : प्रभात खबर 29.04.2012)

कब्जे से नहीं बनता मालिकाना हक

सम्पत्ति की देखभाल के लिए रखे गये चौकीदार, केयरटेकर या नौकर लम्बे समय तक अपने कब्जे के चलते कभी मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते।

(विस्तृत समाचार : राष्ट्रीय सहारा, 30.04.2012)

अदालत के फैसले

चेक बाउंस होने पर वोतरफा कार्यवाही

कोई चेक जारी किए जाने के बाद यदि बैंक ने उसके एवज में भुगतान करने से इनकार (डिसऑनर) कर दिया हो तो ऐसे में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ऐक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्यवाही तो की ही जाएगी, इसके साथ भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और भरोसे को तोड़ने के लिए अलग से दूसरी आपराधिक कार्यवाही भी चलाई जा सकती है।

'संगीता बेन बनाम गुजरात राज्य' मुकदमे की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों तरह की कार्यवाही स्वतंत्र तरीके से चलाई जा सकती है। इस मामले में चेक जारी करने वाली महिला को दोषी ठहराया गया था और बाद में वह चेक कानून के तहत बरी हो गई थी। फिर भी उसके खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित दूसरा मुकदमा चलाया गया। इसके बाद आरोपी ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि उस पर समान अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। उच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी और धोखाधड़ी का मामला आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

इसके बाद उस महिला ने सर्वोच्च न्यायायल में अपील की और वहाँ भी उसकी अपील खारिज कर दी गई।

व्यवसायी भी अधिक मुआवजे का हकदार

सर्वोच्च न्यायालय ने एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की विधवा और उसके आश्रितों के लिए मुआवजे की रकम बढ़ा दी। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि परिवार को होने वाली आमदनी के नुकसान का आकलन करते समय मृत व्यक्ति की भविष्य में धन उपार्जन की क्षमता पर भी गौर किया जाना चाहिए।

'संतोष देवी बनाम नैशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड' मामले में हादसे में जान गंवाने वाला व्यक्ति दूध डेयरी चलाता था। इस मामले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मृतक के परिवार के लिए 1.32 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया था। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह रकम बढ़ाकर 1.77 लाख रुपये कर दी। अदालत की राय थी कि हादसे के वक्त मृतक की उम्र 45 वर्ष थी और भविष्य में होने वाली उसकी आय उस तरीके से नहीं आंकी जा सकती, जैसे किसी कर्मचारी के मामले में किया जाता है क्योंकि वह एक स्थिर व्यापार में लिप्त था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय खारिज कर दी और कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल नौकरीपेशा लोगों की आय में साल-दर-साल बढ़ोतरी होती है, स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति की आमदनी भी समय के साथ-साथ बढ़ती जाती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में मुआवजे की रकम बढ़ाकर 3.17 लाख रुपये कर दिया । इसके साथ ही न्यायालय ने भी कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजे का आकलन करते समय यह तथ्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 30.04.2012)

चार बार से अधिक चेक बाउंस होने पर बंद होगा खाता

यदि किसी ग्राहक की ओर से किसी अन्य ग्राहक को दिया गया चेक चार बार या उससे अधिक बार बाउंस होता है तो बैंक उसके खाते को बंद कर देगा। ऐसा एक साल के दौरान होने पर किया जा सकेगा। बैंकों के अनुसार ऐसे ग्राहक जिनके खातों में यह दोष अधिक दिखेगी उनको पहले नोटिस दिया जायेगा। उसके बाद भी यह त्रुटि जारी रही तो इनके खाते बंद कर दिये जायेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे ग्राहक जिनके बचत खाते के चेक बार-बार बाउंस होते हैं, बैंक उन पर कड़ी नजर रखता है। ऐसे में ग्राहकों के खाते की बची राशि को उस ग्राहक को ड्राफ्ट बना कर वापस कर दिया जायेगा। बैंकों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सुविधा का उपयोग करें। इससे जोखिम से बचाव हो सकेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 11.04.2012)

आभूषणों पर नहीं लगेगा नया टैक्स

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आम लोगों, सर्राफा कारोबारियों और कॉर्पोरेट जगत को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ब्रांडेड व गैर-ब्रांडेड ज्वेलरी से एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क तथा अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री पर एक प्रतिशत टैक्स के प्रस्ताव को वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने जनरल एंटी एवायडेंस रूल (जीएएआर) को उदार बनाने तथा इसका क्रियान्वयन एक वर्ष तक टालने की घोषणा की।

कॉर्पोरेट जगत ने जीएएआर का काफी विरोध किया था। वित्त विधेयक-2012 को लोकसभा के समक्ष रखते हुए मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड दोनों तरह की ज्वेलरी पर से शुल्क हटाने का फैसला किया है जो 17 मार्च 2012 से प्रभावी होता। उन्होंने दो लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर यानी टीसीएस लगाने का प्रस्ताव भी वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ज्वेलरी उद्योग की मांग पर टीसीएस लगाने के लिए न्यूनतम सीमा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने का फैसला किया है।

21 दिन चला था आंदोलन

- गैर ब्रांडेड आभूषणों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने से नाराज सर्राफा व्यापारी हड़ताल पर चले गए थे।
- उत्पाद शुल्क हटाने का आश्वासन मिलने पर 6 अप्रैल को 21 दिनों की हड़ताल खत्म हुई थी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.5.2012)

बिहार सरकार, उद्योग विभाग

आदेश

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया से संबंधित प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1238 दिनांक 14.10.2009 द्वारा खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्वीकृति एवं अनुश्रवण हेतु प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट एप्रुभल एंड मोनिटरिंग कमिटी (पी०ए०एम०सी०) का गठन किया गया है। इस समिति में कुल 7 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। पूर्व में मनोनीत सात सदस्यों के अतिरिक्त निम्नांकित तीन सदस्यों को पी०ए०एम०सी० के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

i. निदेशक (खाद्य प्रसंस्करण), उद्योग विभाग, बिहार, पटना
ii. अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना
iii. अध्यक्ष, दी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. इस आशय के प्रस्ताव पर मंत्री उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

निदेशक (खा० प्र०)
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : DFP / B1 - 62/12 - 124 पटना दिनांक 17/4/2012

बिहार सरकार, उद्योग विभाग

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय

आदेश

एरेटेड ड्रिन्कस (Aerated Drinks) का उत्पादन करने वाली इकाईयों को खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में नहीं माना जा सकेगा तथा फलस्वरूप उन्हें खाद्य प्रसंस्करण की समेकित विकास योजनान्तर्गत अनुदान देय नहीं होगा।

2. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।
3. इस आशय के प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

निदेशक (खा० प्र०)
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : DFP / B1 - 54/11 - 125 पटना दिनांक 17/4/2012

EDITORIAL BOARD
K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635, Fax No.: 0612-2677505, E-mail : bccpatna@gmail.com

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296